Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation pass or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group' C' Department Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Under Secretary — Chairman 2. Section Officer — Member 3. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government —Member	Not applicable

[F. No. 3/10/2010-Estt.]

S. K. GUPTA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान फोरमैन (ड्रिल) भर्ती नियम, 2007 केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, ड्रिलर भर्ती नियम, 2007 और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी, फील्ड सहायक भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी, संस्थान, बंगलौर में फोरमैन (ड्रिल), डिलर और फील्ड सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी, संस्थान, बंगलौर फोरमैन (ड्रिल), ड्रिलर फील्ड सहायक भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड, तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोरमैन (ड्रिल)	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण : 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण : 2** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटरयान में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रमाणपत्र तथा किसी मान्यता प्राप्त संगठन में तीन वर्ष का अनुभव **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या आटो-मोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटरयान का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रमाण-पत्र	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

4403 GI/12—7

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे ड्रिलर जिनकी वेतनबैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ड्रिलर	5* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण : 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण : 2** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : मैट्रीकुलेशन के साथ मैकेनिक मोटरयान या मैकेनिक डीजल में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रमाण-पत्र	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : मैकेनिक मोटरयान या मैकेनिक डीजल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से एक वर्ष का प्रमाण-पत्र रखता हो ।	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
1.20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, और 2.80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे फील्ड सहायक जिनकी वेतनबैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. फील्ड सहायक	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण : 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण : 2** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन के साथ मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटरयान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से एक वर्ष का प्रमाणपत्र हो	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृन्द जिनकी वेतनबैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 4-5/2011-मा. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 4th December, 2012

G.S.R. 297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Foreman (Drilling) Recruitment Rules, 2007, the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Driller Recruitment Rules, 2007 and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Field Assistant Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Foreman (Drilling), Driller and Field Assistant in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Foreman (Drilling), Driller and Field Assistant Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Foreman (Drilling)	1*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20,200 and Grade Pay Rs.2800	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years) **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In respect of posts to which the appointment are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date up to which the Employment Exchange are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Two years Industrial Training Institute certificate in Diesel Mechanic or Motor Mechanic Vehicle with three years experience from recognised organisation. Desirable : Diploma in Mechanical Engineering or Automobile Engineering from recognised Institutions.	Age : No Educational qualifications : Must possess one year Industrial Training Institute Certificate Diesel Mechanic or Motor Mechanic Vehicle	Two years for direct recruits.

4403 GI/12—8

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by direct recruitment	Drillers Pay band-1, Rs. 5200—20200, with Grade pay of Rs. 2400 with five years' regular service in the grade

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Driller	5 * (2012) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years) **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In respect of posts to which the appointment are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential : Matriculation with two years Industrial Training Institute Certificate in Motor Mechanic Vehicle or Diesel Mechanic.	Age : No Educational qualifications : Must possess one year Industrial Training Institute Certificate in Motor Mechanic Vehicle or Diesel Mechanic.	Two years for direct recruits

(10)	(11)
1. 20% by promotion failing which by direct recruitment, and 2. 80% by direct recruitment.	Field Assistant Pay Band-1, Rs. 5200—20200, and Grade pay Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade.

(12)	(13)
Group 'C' **Departmental Promotion Committee** consisting of — 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Field Assistant	1*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200 with Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years) **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In respect of posts to which the appointment are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date up to which the Employment Exchanges

are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential : Matriculation from a recognised Board with Industrial Training Institute Certificate of one year duration in Diesel Mechanic or Motor Mechanic Vehicle.	Age : No Educational qualifications : Yes	Two years

(10)	(11)
Promotion failing which by direct recruitment,	Multi Tasking Staff in Pay Band-1, Rs. 5200—20200, with Grade Pay of Rs. 1900 with three years' service in the grade.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of — 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	Not applicable.

[F. No. 4-5/2011-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th January, 2013

G.S.R. 298.—In the notification of this Ministry, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 29th September, 2012 vide G.S.R. No. 238 dated 20th September, 2012 in the English version of the notification, the following corrections may be made :—

1. In the 3rd line of 1st para, Read as 'Recruitment Rules, 2007' in place of 'Recruitment Rules, 2012'.
2. In the 1st line of para No. 2 for Rule 2, Read as 'Recruitment Rules, 2007' in place of 'Recruitment Rules, 2012'.

[No. A-12018/1/2012-PBN]

SUNIL KUMAR PAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.